Australian Electoral Commission

Hindi/हिंदी

2022 के फ़ेडरल इलेक्शन (संघीय चुनावों) के लिए

आपकी ऑफ़िशिअल गाइड (आधिकारिक मार्गदर्शक पुस्तिका)

शनिवार 21 मई 2022

18 वर्ष या इससे अधिक आयु के ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों के लिए

वोट देना (मतदान करना) अनिवार्य है

आपका वोट ऑस्ट्रेलिया का रूप गढ़ने में सहायता करेगा

इलेक्टोरल कमिश्नर (चुनाव आयुक्त) **का संदेश**

इस फ़ेडरल चुनाव में आपको अपना वोट देने के लिए तैयारी करने में सहायता करने के लिए ए ई सी ने यह मार्गदर्शक पुस्तिका तैयार की है। इस पुस्तिका में यह जानकारी दी गई है कि आप अपना वोट सही तरीके से कैसे दें, चुनाव-केंद्र पर क्या होता है, अकसर पूछे जाने वाले प्रश्न और जानकारी के स्रोतों के बारे में पता कैसे करें, इसके बारे में सुझाव दिए गए हैं।

चुनाव के दिन पूरे देश में चुनाव-केंद्र खुले होंगे, इसके अलावा समुदायों को अपने मत का प्रयोग कर पाने में सहायता करने के लिए मतदान के अन्य विकल्प भी होंगे।

आप भरोसा रखें कि:

- हम **सत्यनिष्ठा** से चुनाव की प्रक्रिया पूरी करेंगे, मतपत्र के छापने से लेकर आपके वोट की गिनती तक – चुनाव प्रक्रिया के हर चरण में हम आपके वोट को सुरक्षित रखेंगे।
- आपका और चुनाव में कार्यरत हमारे कर्मचारियों का **स्वास्थ्य और सुरक्षा** हमारी प्राथमिकता रहेंगे और COVID-19 से सुरक्षा के कई उपाय लागू होंगे।

विचारों का भरपूर आदान-प्रदान चुनाव अभियान का एक हिस्सा है, और मैं आपको इस बात के लिए प्रोत्साहित करूँगा कि आपको जो भी जानकारी मिले, उस पर ध्यान से विचार करें, विशेष रूप से ऐसी कोई भी जानकारी जो हमारी सुव्यवस्थित चुनाव प्रक्रिया को चुनौती देती हो। **आप स्वयं सोचें कि क्या वह जानकारी किसी पहचाने जा सकने वाले और विश्वसनीय स्रोत से आई है।** यदि इसका उत्तर न में हो तो मैं कहूँगा कि आप सावधानी बरतें।

इस चुनाव में आप अपना मत कैसे दे सकते हैं, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए **aec.gov.au** पर जाएँ।

टॉम रोजर्स
इलेक्टोरल कमिश्नर

96% **से अधिक**
लोग मतदाता-सूची में

7,000+
चुनाव-केंद्र

500+
अर्ली वोटिंग सेंटर (पूर्व मतदान केंद्र)

100,000+
अस्थायी चुनाव कार्यकर्ता

ज़रा रुकें और सोचें
इस फ़ेडरल इलेक्शन में जानकारी के स्रोत की जाँच करें

चुनावों के दौरान बहुत सी जानकारी बाँटी जाती है जिसके द्वारा आपके वोट को प्रभावित करने की चेष्टा की जाती है।

यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक महत्त्वपूर्ण भाग है। यह चुनाव-प्रत्याशियों, राजनीतिक पार्टियों और अन्य लोगों को मतदाताओं तक अपनी नीतियों और धारणाओं की जानकारी पहुँचाने का अवसर देती है।

लेकिन, कुछ ग़लत या गुमराह करने वाली जानकारी जान बूझ कर भी दी जा सकती है।

यह महत्त्वपूर्ण है कि फ़ेडरल चुनावों के बारे में आप जो भी देखें, सुनें या पढ़ें, उस पर ध्यानपूर्वक गौर करें।

समय निकाल कर विचार करें कि क्या जानकारी:

- किसी विश्वसनीय या पहचाने जा सकने वाले स्रोत से आई है
- नवीनतम है
- सुरक्षित है (न कि स्कैम)।

सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन माध्यमों के मामले में यह विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है।

अधिक जानकारी और सहायक सुझावों वाले छोटे-छोटे वीडियो देखने के लिए **aec.gov.au/stopandconsider** पर जाएँ।

चुनाव का दिन शनिवार 21 मई 2022 है।

चुनाव-केंद्र प्रातः ठीक 8 बजे खुलेंगे और सायं ठीक 6 बजे बंद हो जाएँगे।

फ़ेडरल चुनाव इसलिए करवाए जाते हैं ताकि ऑस्ट्रेलियाई लोग हाउस ऑफ़ रिप्रेज़ेंटेटिव्ज़ और सीनेट में अपने विचारों और हितों के प्रतिनिधित्व के लिए सांसदों को चुन सकें।

किन लोगों को वोट देना होगा?

18 वर्ष या इससे अधिक आयु के सभी ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों के लिए फ़ेडरल चुनावों के लिए नामांकन करवाना और वोट देना अनिवार्य है।

मैं कहाँ वोट दे सकता/सकती हूँ?

चुनाव के दिन आप अपने राज्य या टेरिटरी के किसी भी चुनाव-केंद्र पर वोट दे सकते हैं। चुनाव-केंद्र प्रातः 8 बजे से सायं 6 बजे तक खुले होंगे।

चुनाव-केंद्र आम तौर पर स्थानीय विद्यालयों, गिरजाघरों और सामुदायिक हॉलों, या सरकारी भवनों में होते हैं। अपने नज़दीकी चुनाव-केंद्र का पता लगाने के लिए **aec.gov.au/where** पर जाएँ।

यदि आप चल-फिर नहीं सकते या आपको कोई विकलांगता है, या आप ऐसे किसी व्यक्ति की देख-भाल करते हैं, तो आप **aec.gov.au/where** पर चुनाव-केन्द्रों की अभिगम्यता की जानकारी देख सकते हैं।

नेत्रहीन या कम दृष्टि वाले लोगों के लिए वोट देने के विकल्प जानने के लिए **aec.gov.au/assistance** पर जाएँ या **13 23 26** पर फ़ोन करें।

यदि मैं किसी अन्य राज्य या टेरिटरी में हूँ तो?

चुनाव के दिन यदि आप अपने राज्य या टेरिटरी से बाहर होंगे तो आप किसी भी नामज़द इंटरस्टेट वोटिंग सेंटर में वोट दे सकते हैं, या चुनाव के दिन से पहले वोट देने के लिए नीचे दिए गए विकल्पों पर विचार कर सकते हैं।

यदि चुनाव के दिन मेरे लिए वोट देना संभव नहीं होगा तो?

चुनाव के दिन यदि आप अपने राज्य या टेरिटरी के किसी चुनाव-केंद्र तक नहीं पहुँच सकते तो आप उससे पहले व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा वोट देने के पात्र हो सकते हैं।

चुनाव से पहले व्यक्तिगत रूप से वोट कैसे दें

यदि आप इसके पात्र हैं तो आप चुनाव के दिन से पहले वोट दे सकते हैं। अर्ली वोटिंग सेंटर **सोमवार 9 मई 2022** से खुले होंगे। इनके खुलने के दिन और समय अलग-अलग हो सकते हैं, इसलिए किसी अर्ली वोटिंग सेंटर की जानकारी देखने के लिए **aec.gov.au/where** पर जाएँ।

चुनाव के दिन से पहले वोट देने के बारे में अधिक जानकारी और अपनी पात्रता जाँचने के लिए **aec.gov.au/early** पर जाएँ या **13 23 26** पर फ़ोन करें।

चुनाव से पहले डाक द्वारा वोट कैसे दें

पात्र मतदाताओं के लिए पोस्टल वोट (डाक द्वारा मतदान) की सुविधा उपलब्ध है। अपनी पात्रता जाँचने और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए **aec.gov.au/pva** पर जाएँ।

पोस्टल वोट के लिए अपना आवेदन भरें ताकि वह ए ई सी को **बुधवार 18 मई 2022 को सायं 6 बजे तक मिल जाए।**

यदि आप पोस्टल वोट के लिए आवेदन करना चाहते हैं पर आपके पास ऑनलाइन सुविधा नहीं है तो कृपया **13 23 26** पर फ़ोन करें।

मैं कौन से इलेक्टोरल डिवीज़न (निर्वाचन क्षेत्र) में आता/आती हूँ?

आप किस इलेक्टोरल डिवीज़न में रहते हैं, इसकी जाँच आप **aec.gov.au/electorate** पर कर सकते हैं।

यदि आप **वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया** या **विक्टोरिया** में रहते हैं, तो संभव है कि पिछले फ़ेडरल चुनावों के उपरांत पुनर्वितरण के कारण आपके इलेक्टोरल डिवीज़न का नाम या उसकी सीमाएँ बदल गई हों। हो सकता है कि आपको किसी अन्य डिवीज़न में वोट देने जाना पड़े या आप जहाँ प्राय: वोट देते हैं, वह चुनाव केंद्र अब दूसरे डिवीज़न में आता हो।

आप अपना वोट किसे दें, यह निर्णय आप करेंगे

चुनाव केन्द्रों के बाहर उम्मीदवारों के प्रतिनिधि आपको हाउ टु वोट (वोट कैसे दें) कार्ड देने का प्रयास कर सकते हैं ताकि आप एक विशिष्ट तरीके से वोट दें। आपके लिए हाउ टु वोट कार्ड लेना या उसके अनुसार वोट देना आवश्यक नहीं है।

क्या आपके कोई अन्य प्रश्न हैं?
aec.gov.au/faqs पर जाएँ

यह सुनिश्चित करना कि आपका वोट गिनती में शामिल हो

चुनाव के दिन आपको दो मतपत्र दिए जाएँगे: एक छोटा, हरे रंग का जो हाउस ऑफ़ रिप्रेज़ेंटेटिव्ज़ के लिए होगा, और एक बड़ा, सफ़ेद रंग का, सीनेट के लिए। **आपको दोनों मतपत्रों को भरना होगा।** हरे मतपत्र पर आप हाउस ऑफ़ रिप्रेज़ेंटेटिव्ज़ के लिए अपने स्थानीय क्षेत्र या इलेक्टोरेट (निर्वाचन क्षेत्र) के लिए एक प्रतिनिधि चुनने के लिए वोट देंगे। सफ़ेद मतपत्र पर आप सीनेट के लिए अपने राज्य या टेरिटरी के प्रतिनिधियों को चुनने के लिए वोट देंगे।

हाउस ऑफ़ रिप्रेज़ेंटेटिव्ज़

हरे मतपत्र पर **हर खाने में** अपनी प्राथमिकता के अनुसार एक नंबर लिखें।

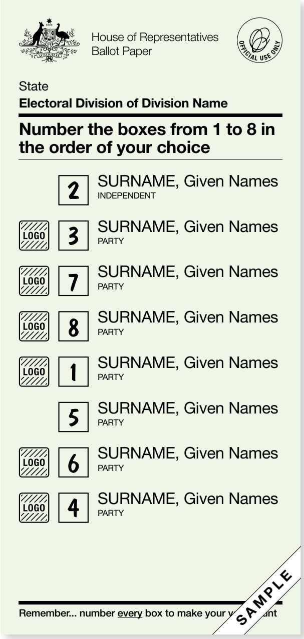

मतपत्र का नमूना

यदि आप ग़लती करते हैं तो चिंता न करें।

आप दूसरा मतपत्र माँग सकते हैं और उसे फिर से भर सकते हैं।

सीनेट

सफ़ेद मतपत्र पर आप दो में से किसी एक तरीके से वोट देने का चयन कर सकते हैं:

या तो

लाइन से ऊपर

यदि आप लाइन से ऊपर मतदान के तरीके को चुनते हैं, तो आपको **कम से कम 6 खानों** में नंबर लिखने होंगे। अपनी सबसे अधिक पसंद की पार्टी या समूह के ख़ाने में '1' लिखें, अपनी दूसरी पसंद के ख़ाने में '2' लिखें और इस तरह से कम से कम 6 खानों को भरें। लाइन से ऊपर के बाक़ी जितने खानों में भी आप अपनी पसंद के अनुसार नंबर लिखना चाहें, लिख सकते हैं।

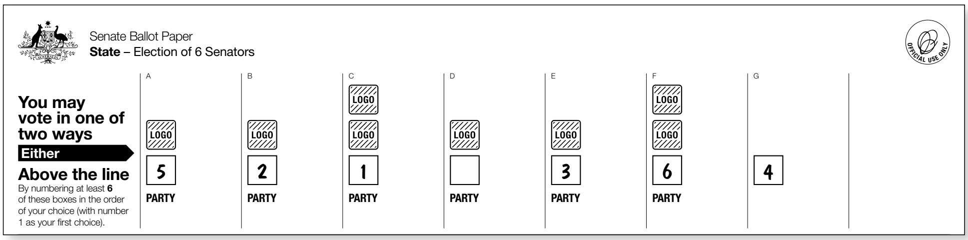

मतपत्र का नमूना

या

लाइन के नीचे

यदि आप लाइन के नीचे वोट देने के तरीके को चुनते हैं तो आपको **कम से कम 12 खानों में**, अपनी पसंद के क्रम में, अलग-अलग उम्मीदवारों के लिए 1 से 12 तक नंबर लिखने होंगे। लाइन के नीचे बाक़ी जितने खानों में भी आप अपनी पसंद के अनुसार नंबर लिखना चाहें, लिख सकते हैं।

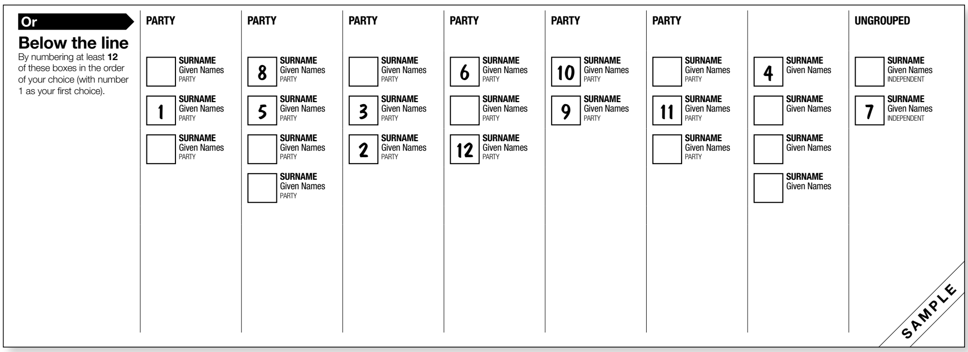

मतपत्र का नमूना

क्या आप जानते हैं कि आप ए ई सी की वैबसाइट पर वोट देने का अभ्यास कर सकते हैं? **aec.gov.au/practise** पर जाएँ

वोट देने से पहले
आप उसके लिए क्या तैयारी कर सकते हैं

BE COVIDSAFE

वोट देते समय आप और अन्य लोग सुरक्षित रहें, इसके लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं।

- **क्या आपको COVID-19 के लक्षण हैं? चुनाव केंद्र में न जाने के लिए धन्यवाद।**
- यदि आप बीमार हैं, तो आप पोस्टल वोट के पात्र हो सकते हैं। इसके लिए आप **aec.gov.au/pva** पर **बुधवार 18 मई 2022, सायं 6 बजे** तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- वोट देने के लिए जाने से पहले उम्मीदवारों और प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें। उम्मीदवारों की सूचियाँ **aec.gov.au/election/candidates.htm** पर उपलब्ध हैं।
- यदि ऐसा कर पाना संभव हो, तो केवल वही व्यक्ति चुनाव केंद्र में जाए जिसे वोट देना है।
- चुनाव केंद्र में मिलने-जुलने के लिए या अतिरिक्त समय बिताने के लिए न रुकें।

नवीनतम जानकारी और सलाह के लिए **aec.gov.au/covid-safety** पर जाएँ

चुनाव केंद्र पर क्या होगा ?

वोट देने की प्रक्रिया

1. एक अधिकारी आपसे आपका पूरा नाम और पता, तथा यह पूछेगा कि क्या आप उस फ़ेडरल इलेक्शन के लिए पहले वोट दे चुके हैं। वह मतदाता सूची में आपके नाम के आगे निशान लगा देगा।
2. आपको आपके मतपत्र दिए जाएँगे।
3. वोट देने के बूथ में अपने मतपत्रों पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें या किसी चुनाव अधिकारी से सहायता माँगें।
4. अपने मतपत्रों को भरें।
5. मतपत्रों को तह करके बैलट बॉक्सों (मतपेटिकाओं) में डाल दें।

COVID-19 सुरक्षा उपाय जो वहाँ लागू होंगे

- चुनाव-केंद्र के अंदर किसी समय कितने मतदाता हो सकते हैं, इस पर कोई सीमा लागू हो सकती है। आपको बाहर लाइन में खड़े रहने के लिए कहा जा सकता है।
- चाहे आप बाहर हों या अंदर, अन्य लोगों से 1.5 मीटर की दूरी बनाए रखें, चुनाव-केंद्र के अंदर जमीन पर लगे निशानों का पालन करें।
- क्यू आर कोड द्वारा या लिखित रूप में अपने वहाँ जाने की जानकारी दर्ज करें।
- आपके क्षेत्र में मास्क पहनने संबंधी जो भी नियम लागू हों, उनका पालन करें।
- हैंड सेनिटाइजर उपलब्ध होगा, उसका प्रयोग करें।
- वोट देने के बूथ और पेंसिलों को नियमित रूप से साफ़ किया जाएगा। यदि आप चाहें तो अपना पेन या पेंसिल ला सकते हैं, लेकिन जाते समय उसे वापस ले जाएँ।

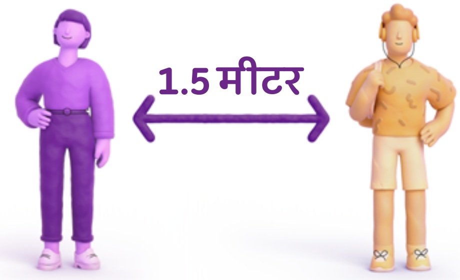

1.5 मीटर की दूरी पर खड़े हों

यदि आपको COVID-19 के लक्षण महसूस हों तो घर पर ही रहें

खाँसते और छींकते समय अपने चेहरे को ढकें

आपके स्थानीय क्षेत्र में मास्क पहनने संबंधी नियमों से अवगत रहें

हैंड सेनिटाइजर उपलब्ध होगा, उसका प्रयोग करें।

यह महत्त्वपूर्ण है कि आप अपनी स्थानीय राज्य या टेरिटरी सरकार के COVID-19 संबंधी स्वास्थ्य निर्देशों का पालन करें। इन निर्देशों को देखने के लिए लिंक **aec.gov.au/covid-safety** पर उपलब्ध हैं।

इस पुस्तिका में दी गई जानकारी इसे प्रिंट करने के समय की परिस्थितियों पर आधारित थी। ए ई सी फ़ेडरल और राज्यों के स्वास्थ्य विभागों की सलाह का पालन करता रहेगा, और नियमों में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी हमारी वैबसाइट पर उपलब्ध होगी।

आपकी ऑफ़िशिअल गाइड (आधिकारिक मार्गदर्शक पुस्तिका)

2022 के फ़ेडरल इलेक्शन (संघीय चुनावों) के लिए

शनिवार 21 मई 2022

इस पुस्तिका के **वैकल्पिक रूप**

वैकल्पिक रूपों में जानकारी

aec.gov.au/assistance पर आप इस गाइड को अन्य रूपों में भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि ऑडियो (सुनने के लिए) या बड़े प्रिंट में। इसका ब्रेल रूप भी उपलब्ध है, उसे प्राप्त करने के लिए **13 23 26** पर फ़ोन अनुरोध करें।

यदि आप बहरे हैं या आपको सुनने अथवा बोलने में कोई कठिनाई है तो हमसे नेशनल रिले सर्विस (एन आर एस) के द्वारा संपर्क करें:

- टी टी वाई का इस्तेमाल करने वाले **13 36 77** पर फ़ोन करें और **13 23 26** पर लाइन मिलाने के लिए पूछें।
- स्पीक एंड लिसन का इस्तेमाल करने वाले **1300 555 727** पर फ़ोन करें और **13 23 26** पर लाइन मिलाने के लिए पूछें।
- इंटरनेट रिले का इस्तेमाल करने वाले एन आर एस से कनेक्ट करें और **13 23 26** पर लाइन मिलाने के लिए पूछें।
- ओज़लेन इंटरप्रेटिंग सेवाएँ भी उपलब्ध होंगी। और अधिक जानने के लिए ए ई सी की वैबसाइट पर जाएँ।

अन्य भाषाओं में जानकारी

इस गाइड के 33 भाषाओं में अनुवाद aec.gov.au/translated वैबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

टेलीफ़ोन पर दुभाषिया सेवाएँ भी उपलब्ध हैं। वोट देने और चुनावों के बारे में जानकारी के लिए **1300 720 153** पर फ़ोन करें और अपनी भाषा में बात करवाने के लिए कहें।

18 वर्ष या इससे अधिक आयु के ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों के लिए वोट देना अनिवार्य है। यदि आप वोट नहीं देते हैं तो आप पर मुक़दमा चलाया जा सकता है। यदि आप एक से अधिक बार वोट देते हैं तो यह दंडनीय अपराध होगा।

इलेक्टोरल कमिश्नर, 10 मोर्ट स्ट्रीट, कैनबरा द्वारा प्राधिकृत
Authorised by the Electoral Commissioner, 10 Mort Street, Canberra.